

30⁹/₂₂ आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ
पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित।
न्यायालय में बार-बार आवाज लगावने
के बावजूद सायं 5.00 बजे तक वादी एवं
वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं
हुआ।

मूलवाद अदम हाजिरी एवं अदम
पैरवी में खारिज हो चुका है। मूलवाद का
निस्तारण हो जाने से प्रार्थना पत्र
212 RA Act का कोई औचित्य नहीं
रहता है। अतः अदम प्रार्थना पत्र 212 RA Act
की कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

बनाम

नं.....सन्.....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुएफैतल शुमार लीकर रजिस्ट्रार से काम की
जावे । संलग्न भूलवाद हो

SDO